पत्रांक–बि०प्र०सु०मि०सो० / स्था०–03 / 2021 सो० 905

<u>बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी</u>

<u>(सामान्य प्रशासन विभाग)</u>

प्रेषक,

सतीश रंजन सिन्हा,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 06/04/2022

विषयः– **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायक के कार्यपालक सहायक वर्ग–II में उत्क्रमण के क्रम में मानदेय निर्धारण के संबंध में।**

प्रसंग :– **बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना का पत्रांक–488, दिनांक– 07.03.2019.**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कतिपय जिलों द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अधीन सृजित पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायक के वर्ग–I से वर्ग–II में उत्क्रमण के क्रम में उनके मानदेय निर्धारण के संबंध में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है।

विदित हो कि प्रासंगिक पत्र में कार्यपालक सहायक वर्ग–I तथा कार्यपालक सहायक वर्ग–II के मानदेय से संबंधित जो सारणी दी गयी है वह इन वर्गो की दिनांक–01.07.2018 को लागू मानदेय विवरणी हैं। दोनो विवरणी में मात्र 2800 रूपये का अंतर है जो कार्यपालक सहायक वर्ग–II के मामले में विशेष भत्ता के रूप में अनुमान्य किया गया है, शेष सभी मद में राशियाँ सामान है।

यह निर्णित है कि सभी कार्यपालक सहायक (कार्यपालक सहायक वर्ग–I, कार्यपालक सहायक वर्ग–II तथा दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण को वार्षिक वृद्धि दी जानी है।

स्पष्ट है कि वर्ग–I से वर्ग–II में उत्क्रमण के क्रम में प्राप्त हो रहे सभी वार्षिक वृद्धि / देय वार्षिक वृद्धि के साथ उत्क्रमण होगा, जिस क्रम में उत्क्रमित कार्यपालक सहायक को अतिरिक्त 2800 रूपये विशेष भत्ता के रूप में देय होगा।

विश्वासभाजन

6-4-22

(सतीश रंजन सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी